

**बिहार सरकार,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

पत्रांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-02/2017 5 3 ~~4877~~ /खाद्य,पटना-15, दिनांक-12.12.17
प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग सं0-18 उपशीर्ष 0002 जिला प्रभार विपत्र कोड सं0 18-3456000010002 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के विषय शीर्ष 0002 16 01-प्रकाशन एवं मुद्रण इकाई अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु 25,00,000 (पच्चीस लाख) रूपये मात्र के आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रावधानित राशि से कुल 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रूपये मात्र को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने हेतु सभी जिला पदाधिकारी को संलग्न तालिका के अनुसार राशि आवंटित करते हुए वित्त विभागीय पत्रांक-2561/वि0 दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक-428 दिनांक 31.03.2017 तथा पत्र सं0-3002 दिनांक-26.04.2017 में निहित निदेश के आलोक में निम्नांकित तालिका के कॉलम 4 के अनुसार संलग्न सूची के कॉलम 3 में अंकित राशि को नियमानुसार / आवश्यकतानुसार व्यय करने की अनुमति दी जाती है ।

क्र0	ईकाइ का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आय-व्ययक उपबंध	वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु आवंटित की जाने वाली राशि
1	2	3	4
1	0002 16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	25,00,000	25,00,000

2. यह राशि मुख्यशीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन उपशीर्ष 0002 जिला प्रभार, विपत्र कोड सं0-18-3456000010002, मांग सं0 18 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), **विषय शीर्ष 0002 16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण इकाई** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय होगी ।
3. राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

- 5 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि निकासी की गई राशि का व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करा देंगे ।
- 6 दिये गये आवंटन में सरकार के सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजुष
(बजट/17/11)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-02/2017 53 (बजट) / खाद्य,पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

बजट
(17/11)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-02/2017 53 (बजट) / खाद्य,पटना-15, दिनांक-12.12.17
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

बजट
(17/11)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-02/2017 53 (बजट) / खाद्य,पटना-15, दिनांक-12.12.17
प्रतिलिपि:-संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

बजट
(17/11)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-02/2017 53 (बजट) / खाद्य,पटना-15, दिनांक-12.12.17
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी 05 एवं 06 तथा आई0 टी0
मैनेंजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

बजट
(17/11)

सरकार के विशेष सचिव ।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने हेतु विपत्र कोड सं०-18 3456000010002 के विषय शीर्ष 0002 16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण इकाई अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु जिलो को आवंटित राशि ।

क्रमांक	जिला का नाम	आवंटित राशि (रुपये में)
1	2	3
1	प० चम्पारण	93000
2	पूर्वी चम्पारण	124000
3	शिवहर	17000
4	सीतामढ़ी	89000
5	मधुबनी	116000
6	सुपौल	58000
7	अररिया	82000
8	किशनगंज	44000
9	पूर्णिया	85000
10	कटिहार	80000
11	मधेपुरा	54000
12	सहरसा	51000
13	दरभंगा	110000
14	मुजफ्फरपुर	115000
15	गोपालगंज	52000
16	सिवान	69000
17	सारण	81000
18	वैशाली	90000
19	समस्तीपुर	115000
20	बेगूसराय	76000
21	खगड़िया	47000
22	भागलपुर	71000
23	बांका	52000
24	मुंगेर	31000
25	लखीसराय	22000
26	शेखपुरा	15000
27	नालन्दा	60000
28	पटना	148000
29	भोजपुर	59000
30	बक्सर	29000

u

31	भभुआ	30000
32	रोहतास	55000
33	औरगांबाद	53000
34	गया	97000
35	नवादा	50000
36	जमुई	43000
37	जहानाबाद	22000
38	अरवल	15000
	कुल:-	25,00,000

25,00,000/- (पच्चीस लाख रूपये मात्र) ।


सरकार के विशेष सचिव ।